



प्रेस नोट

जनपद सीतापुर

12 वांछित/वारण्टी गिरफ्तार

दिनांक:-30.05.2022

पुलिस उपमहानिरीक्षक/पुलिस अधीक्षक श्री आर.पी. सिंह द्वारा जनपद में वांछित/वारण्टियों की नियमानुसार गिरफ्तारी एवम् अपराधियों के विरूद्ध कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये हैं।

उक्त निर्देश के क्रम में थाना कोतवाली नगर, रामकोट, सकरन व रामपुर मथुरा पुलिस टीम द्वारा विभिन्न स्थानों से 12 वांछित/वारण्टियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। विवरण निम्नवत है-

- थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी गिरफ्तार:- थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा वाद संख्या 1878/19 में वारण्टी निर्मल गुप्ता पुत्र श्रीराम बाबू गुप्ता निवासी तरीनपुर थाना कोतवाली नगर जनपद सीतापुर को गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।
- थाना रामकोट पुलिस द्वारा 07 अभियुक्त गिरफ्तार: - थाना रामकोट पुलिस टीम द्वारा वाद संख्या मु0अ0सं0 255/22 धारा 147/148/323/324/504/506/427/452 भा0द0वि0 व 7 CLA Act थाना रामकोट सीतापुर से संबंधित 1-अनिरुद्ध यादव पुत्र रामसेवक 2- रविंद्र यादव पुत्र रामसेवक 3- सुधीर यादव पुत्र रामसेवक 4-राकेश पुत्र रामाधार सर्व निवासी गण ग्राम खपूरा थाना रामकोट जनपद सीतापुर तथा मु0अ0सं0 256/22 धारा 147/148/452/323//504/506 भा0द0वि0 व 7 CLA Act थाना रामकोट सीतापुर से संबंधित 1.अनुज पुत्र विश्वनाथ 2.शुभम यादव पुत्र विश्वनाथ 3.अनुमप यादव पुत्र गया प्रसाद सर्व निवासी गण ग्राम खपूरा थाना रामकोट जनपद सीतापुर को मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
- थाना सकरन पुलिस द्वारा 02 वारण्टी गिरफ्तार: - थाना सकरन पुलिस टीम द्वारा वाद संख्या 189/2017 में वारण्टी रामाधार पुत्र बुद्धा निवासी ग्राम सुकेठा मजरा जालिमनगर थाना सकरन जनपद सीतापुर तथा वाद संख्या 379/2018 में वारण्टी सर्वेश पुत्र धनेश

निवासी ग्राम भिठमनी थाना सकरन जनपद सीतापुर को मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

➤ थाना रामपुर मथुरा पुलिस द्वारा 02 वांछित/वारण्टी गिरफ्तारः - थाना रामपुर मथुरा पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0 188/22 धारा 147/323/504/506/302/308 भादवि में वांछित अभियुक्त राजू पुत्र बेचेलाल निवासी काशीपुरवा मजरा सोहरिया थाना रामपुर मथुरा सीतापुर व मु0अ0सं0 003/87 धारा 380 भादवि में वारण्टी बांके उर्फ बाये पुत्र बीपत निवासी भगौतीपुर थाना रामपुर मथुरा सातपुर को मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।



